छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   दशम् सत्र   अंक-01

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई, 2012

(आषाढ़-21, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री लम्बोदर बलियार, लोकसभा एवं अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे एवं सर्वश्री दूजराम बौद्ध, अजीत जोगी तथा सेवकराम नेताम, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए। माननीय सदस्यों ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री दारा सिंह के निधन का भी उल्लेख किया।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत माननीय सदस्य के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.20 बजे स्थगित होकर 11.31 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किए जाने हेतु श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य का नाम पुकारा गया। श्री लखमा कवासी एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा जिला बीजापुर के सारकेगुड़ा और कोरसागुड़ा में आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारे जाने संबंधी स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.35 बजे स्थगित की जाकर 11.48 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारे जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य का नाम पुकारा गया, माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 9 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.50 बजे स्थगित की जाकर 12.02 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जिले के कोरसागुड़ा एवं कोत्तागुड़ा के ग्रामीणों को नक्सली बताकर गोली मारे जाने संबंधी 39 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से श्री लखमा कवासी, सदस्य की सूचना तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई ।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. व्यवस्था का प्रश्न

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सामान्यतः यह परम्परा रही है कि अगर कोई मामला न्यायाधीन हो या कोई न्यायिक जांच गठित की गई हो तो उस पर सदन में चर्चा नहीं होती है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - किसी मामले के न्यायाधीन अथवा न्यायिक जांच की घोषणा होने मात्र से किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सके इस संबंध में आसंदी के द्वारा पूर्व में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं दीं गईं हैं। जब तक किसी मामले में कानूनी कार्यवाही वस्तुतः प्रारंभ नहीं हो गई हो, मामला न्यायाधीन नहीं माना जाता है। प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर आसंदी द्वारा निर्णय लिया जाता है। अतः मैं इस आपत्ति को निरस्त करता हूं।

6. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा

श्री लखमा कवासी, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री अजीत जोगी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्ता पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री रामपुकार सिंह, अमरजीत भगत, शिवराज सिंह उसारे, श्रीमती अंबिका मरकाम, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सर्वश्री नन्दकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, मोहम्मद अकबर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री रविन्द्र चौबे।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

7. बहिष्कार

शासन के उत्तर के विरोध में श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार किया गया ।

(2.54 से 3.18 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

8. मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार मार्च-अप्रैल, 2012 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

9. मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरियों को सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

10. नियम 267-क के अधीन मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

11. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि तृतीय विधान सभा के मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र में पारित 6 विधेयकों में से सभी 6 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-30-क की अपेक्षानुसार, तृतीय विधान सभा के मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र में पारित 6 विधेयकों में से सभी 6 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

12.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(6) श्री ताम्रध्वज साहू

13. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई, 2012 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

वित्तीय कार्य		**समय**
1. वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	-	03 घंटे

शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012	-	01 घंटा
2. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012	-	01 घंटा
3. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012	-	30 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

अपराह्न 3.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 13 जुलाई, 2012 (आषाढ़, 22 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा